इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड
(इरकॉनजीआरएचएल)

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन : U45309DL2020GOI374941

प्रथम वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020-21

विषय वस्तु

संदर्भ सूचना	1
निर्देशक मंडल	2
अध्यक्ष का संबोधन	3-5
निर्देशक की रिपोर्ट और परिशिष्ट:	
निर्देशक की रिपोर्ट	6-17
वार्षिक रिर्टन का सार (फॉर्म सं. एमजीटी-9)	18-27
संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं. एओसी-2)	28-29
वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट	30-43
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तुलन पत्र	44-97
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	98-99

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी वर्ग

श्री दीपक कुमार गर्ग	: मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री अलिन रॉय चौधरी	: मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री अंकित जैन	: कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स राजन मलिक एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, नई दिल्ली

संपर्क व्यक्ति

श्री अंकित जैन

कंपनी सचिव

ई-मेल: ankit.jain@ircon.org

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, जिला केंद्र, साकेत

नई दिल्ली-110017

निर्देशक मंडल

श्री योगेश कुमार मिश्रा

अध्यक्ष

श्री पराग वर्मा

निर्देशक

श्री बी. मुगुंथन

निर्देशक

श्री मसूद अहमद

निर्देशक

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों

आरंभ में, अपने व अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। मुझे कंपनी की पहली (1वीं) वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

मैं आपके समक्ष इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनजीआरएचएल को 24 दिसंबर, 2020 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया है। इरकॉनजीआरएचएल का मुख्य उद्देश्य " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ किए गए रियायत करार की शर्तों के अनुसार, भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्यूटी के आधार पर एक फीडर रूट के रूप में हरियाणा राज्य में एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) से अपग्रेड करना" है।

दिनांक 20 जनवरी, 2021 को ग्राहक-एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वित्तीय समापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सेट को निर्धारित समय में अर्थात दिनांक 16 जुलाई, 2021 को एनएचएआई को जमा कर दिया गया है।

इरकॉन जीआरएचएल ने 606.54 करोड़ जमा 12% जीएसटी की कुल लागत पर ईपीसी मोड पर परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('इरकॉन') के साथ ईपीसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कुल परियोजना बोली लागत 900 करोड़ रूपए है, जिसमें से 412.90 करोड़ रूपए को 1:3 के अनुपात में इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है। कंपनी ने परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 25 जून, 2021 को इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 309.68 करोड़ रूपए के सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। हालांकि, आईओबी द्वारा अभी तक ऋण का वितरण नहीं किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2021 को, आपकी कंपनी की कुल संपत्ति 6.05 लाख रूपए है; कुल आय 12.93 लाख रूपए और कर पश्चात लाभ 1.05 लाख रूपए है।

वर्तमान में, यह परियोजना, विकास अवधि में है और निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने के लिए निर्धारित (अपोइंटेड) तिथि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। निर्माण पूरा होने पर परिचालन और अनुरक्षण का चरण आरंभ होगा।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे जुड़े नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

आपकी कंपनी को दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को निगमित किया गया है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, आपकी कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने का अनुरोध किया है।

आभारोक्ति

मैं निर्देशक मंडल की ओर से सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और कंपनी के लेखापरीक्षकों के मूल्यवान सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो कि हमारी मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और गहन मूल्य, कंपनी की प्रगति के प्रमुख तत्व हैं।

हम भावी प्रगति पथ हेतु उनके निरंतर सहयोग की कामना करते हैं।

कृते और की ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

(योगेश कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10 अगस्त, 2021
स्थान: नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2021 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

1. <u>व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं : कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति</u>

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा हरियाणा राज्य में परियोजना कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया है। इरकॉनजीआरएचएल का मुख्य उद्देश्य भारतमाला परियोजना के तहत एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार हरियाणा राज्य में "एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को 0 किमी से 43.87 किमी (डिजाइन लंबाई : 46.11 किमी) में हाइब्रिड एनिविटी मोड पर फीडर रूट के रूप में अपग्रेड करना" है।

दिनांक 20 जनवरी, 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वित्तीय समापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सेट को निर्धारित समय के भीतर अर्थात दिनांक 16 जुलाई, 2021 (रियायती समझौते पर हस्ताक्षर करने के 150 दिनों के भीतर और अतिरिक्त एक महीने की अंतरिम राहत/विस्तार प्रदान किया गया अर्थात 19 जुलाई, 2021 तक) को एनएचएआई को प्रस्तुत कर दिया गया है। दिनांक 25 जून, 2021 को वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण होने वाली देरी के लिए, नियत तिथि हेतु अतिरिक्त 2 महीने के समय विस्तार के लिए एक पत्र एनएचएआई को भेजा गया है। भूमि अधिग्रहण और वन संस्वीकृति के कारण पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करना भी एनएचएआई की ओर से लंबित माना गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि नियत तिथि में एक या अधिक महीनों की और देरी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, कुल परियोजना बोली लागत 900 करोड़ रूपए है और प्रथम वर्ष की परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) लागत 2.5 करोड़ रूपए है। परियोजना बोली लागत का 40% की प्रतिभूति, निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा की जाएगी और शेष 60% एनिविटी के रूप में निर्माण के पश्चात प्राप्य है। कुल परियोजना लागत 900 करोड़ रूपए है, जिसमें से 412.90 करोड़ को 1:3 के अनुपात में

इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है। तदनुसार, 309.68 करोड़ रूपए, ऋण के माध्यम से और 103.23 करोड़ रूपए इक्विटी के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। कंपनी ने परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 25 जून, 2021 को इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 309.68 करोड़ रूपए की सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। हालांकि, आईओबी द्वारा अभी तक ऋण का संवितरण नहीं किया गया है।

वर्तमान में, यह परियोजना विकास अवधि में है और निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने हेतु एपोइंडिट तिथि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। निर्माण पूरा होने पर प्रचालन और अनुरक्षण का चरण आरंभ किया जाएगा। इरकॉन ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अपने ईपीसी ठेकेदार को भी अंतिम रूप दे दिया है।

2. वित्तीय विशेषताएं

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं।

दिनांक 31 मार्च 2021 को वित्तीय विवरण सूचक:

(राशि रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	5.0
2.	संचालन से राजस्व	12.93
3.	**कुल आय**	**12.93**
4.	प्रचालनिक लागत	9.42
5.	अन्य व्यय	3.51
6.	**कुल व्यय (5)+ (6)**	**12.93**
7.	**कर पूर्व लाभ (4)-(7)**	0
8.	कराधान हेतु प्रावधान	0
9.	- वर्तमान/ पूर्व वर्षों हेतु कर/आस्थगित कर	1.05
10.	**कर पश्चात लाभ (हानि)**	**0**
11	**अन्य वृहत आय**	**0**

12.	**कुल वृहत आय (लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय सहित)**	**1.05**
13.	पूर्व वर्षों के लिये लाभ/ हानि का शेष	-
14.	अग्रेषित शेष राशि	1.05
15.	शुद्ध नकदी प्रवाह	5.0

3. लाभांश और आरक्षित निधि का विनियोजन:

निर्देशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' के तहत प्रतिधारित आमदनी के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रतिधारित आमदनियों में 1.05 लाख रूपए की शेष राशि है।

4. शेयर पूंजी /डीमेटिरियलाइजेशन:

दिनांक 31 मार्च 2021 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 4,00,000 इक्विटी शेयर और और प्रदत्त शेयर पूंजी 0.05 करोड़ है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी के निगमन के पश्चात अर्थात 24 दिसंबर, 2020 से, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और इरकॉन के पास इरकॉनजीआरएचएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी बनी हुई है।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के एपोइंटिड 9ए के अनुसार, कंपनी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के कारण, अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

5. सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण:

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

6. निर्देशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी वर्ग:

निर्देशक मंडल:

वर्ष 2020-21 के दौरान पदनाम के साथ निर्देशकों की श्रेणी और नाम

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी के प्रबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित गैर-कार्यकारी (नामित) निदेशकों द्वारा किया जाता है:

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन
श्री श्याम लाल गुप्ता, अध्यक्ष	07598920
श्री मसूद अहमद, निर्देशक	09008553
श्री मुगुंथन बोजु गोडा, निर्देशक	08517013
श्री पराग वर्मा, निर्देशक	05272169

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, श्री श्याम लाल गुप्ता दिनांक 13 मई, 2021 से अध्यक्ष पद से कार्यमुक्त हो गए और दिनांक 13 मई, 2021 को श्री योगेश कुमार मिश्रा को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री श्याम लाल गुप्ता द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनकी सराहना की है।

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी वर्ग :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-203 के अनुसार, कंपनी के निर्देशक मंडल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव (सीएस) को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं - श्री दीपक कुमार गर्ग, सीईओ; सुश्री प्रीति शुक्ला, सीएफओ; और श्री अंकित जैन, कंपनी सचिव।

हालांकि, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात, सुश्री प्रीति शुक्ला के स्थान पर 01 जुलाई, 2021 (पूर्वाह्न) से श्री अलिन राय चौधरी को कंपनी के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया था।

7. बोर्ड की बैठकें:

समीक्षा अवधि के दौरान, बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं अर्थात दिनांक 28 दिसंबर, 2020, 12 जनवरी, 2021, 26 फरवरी, 2021 और 25 मार्च, 2021 को बैठकें की गईं।

बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की तिथि	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
28 दिसंबर, 2020	3	3
12 जनवरी, 2021	3	3
26 फरवरी, 2021	4	4
25 मार्च, 2021	4	4

दिनांक 24 दिसंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिसमें निदेशकों ने भाग लिया, इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति की संख्या
श्री श्याम लाल गुप्ता, अध्यक्ष	4/4
श्री मसूद अहमद, निर्देशक	4/4
श्री मुगुंथन बोजु गोडा, निर्देशक	4/4
श्री पराग वर्मा, निदेशक	2/2

8. स्वतंत्र निर्देशक और बोर्ड समितियां और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश:

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम-4 में संशोधन, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इसके बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति की आवश्यकता और बोर्ड समितियों यथा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

तदनुसार, इरकॉन जीआरएचएल, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निर्देशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निर्देशकों की घोषणा, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के निगमित शासान दिशानिर्देश, इरकॉन जीआरएचएल पर लागू नहीं हैं।

9. निर्देशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी का निर्देशक मंडल पुष्टि करता है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखा विवरण ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए गए हैं।

छ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

10. वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की नियम-12 के साथ पढे जाने वाले, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा-92(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट का भाग है जो **अनुबंध-क** के रूप में संलग्न है।

11. निर्देशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

12. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मेसर्स राजन मलिक एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी के दिनांक 21 जनवरी, 2021 के पत्र सं.सीए/वी/सीओवाई/ केन्द्रीय सरकार/ आईजीआरएएचएल (I)1863 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

14. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन, व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

15. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे, सिवाय इसके कि कंपनी को परियोजना के निष्पादन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 309.68 करोड़ रूपए का सावधि ऋण स्वीकृत हुआ है।

16. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च :

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के एपोइंटिड 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि का निष्पादन नहीं कर रही है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और खर्च : -

वर्ष 2020-21 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा खर्च नहीं था।

17. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड के मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

19. कर्मचारियों के विवरण:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और अध्याय XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉनजीआरएचएल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के एपोइंटिड 5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

20. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

21. सार्वजनिक जमा राशि:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया है।

22. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए है। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू भारतीय लेखांकन मानकों (इंड-एएस) का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

23. कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

24. खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर कंपनी को पंजीकृत करना अपेक्षित है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। कंपनी को दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को निगमित किया गया था और यह ट्रेड्स पर पंजीकरण की आवश्यकता के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही है। हालाँकि, कंपनी ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म स्वयं को पंजीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है, ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों में छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली हो सके।

25. कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन:

कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन (पीओएसएच नीति) की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति पीओएसएच नीति के तहत सभी मामलों का निपटान करती है।

26. सतर्कता तंत्र:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान, सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

27. सूचना का अधिकार:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

28. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निर्देशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निर्देशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निर्देशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।

29. सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

30. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं, साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

31. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

32. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

आपकी कंपनी का निगमन दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को हुआ था, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इरकॉन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, आपकी कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने का अनुरोध किया है।

33. आभारोक्ति:

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, लेखापरीक्षकों और हमारे मूल्यवान क्लाइंट - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

हम अपने ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, बैंकरों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के
निर्देशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह0/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10 अगस्त, 2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध–क

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के एपोइंटिड 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	**U45309DL2020GOI374941**
2	पंजीकरण तिथि	**24 दिसंबर, 2020**
3	कंपनी का नाम	**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड**
4	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	**सार्वजनिक कंपनी** **सरकारी कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)**
5	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	**सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017** **दूरभाष: 011-26530266** **ई-मेल: cosecy@ircon.org**
6	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	**नहीं**
7	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	**शून्य**

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद/ सेवा का नाम और विवरण**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत**
1.	एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) से अपग्रेड करने की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करना: निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	4210	100

III. धारक, सहायक तथा सहयोगी कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ सहयोगी कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	होल्डिंग कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

* 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 06 नामितियों के पास हैं ।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [24 दिसंबर 2020 को]				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्य [31 मार्च 2021 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	50000	50000	100%	शून्य	50000	50000	100%	-
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-			-	-	-	-	-	
च) कोई अन्य	-			-	-	-	-	-	
(2) विदेशी	-			-	-	-	-	-	
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**-**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी होल्डिंग व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी होल्डिंग व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**शून्य**	**50000**	**50000**	**100%**	**-**

निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 06 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरहोल्डिंग का नाम	वर्ष के आरंभ में 24 दिसंबर 2020 को शेयरधारिता			वर्ष के आरंभ में 31 मार्च 2021 को शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋण युक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड*	50000	100%	शून्य	50000	100%	शून्य	0.00%
	कुल	**50000**	**100%**	**शून्य**	**50000**	**100%**	**शून्य**	0.00%

*** प्रमोटरों की शेयरधारिता:** कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयरों के साथ, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है। अन्य 06 शेयरहोल्डिंग **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से** शेयरों को धारित कर रहे हैं।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	विवरण	24 दिसंबर, 2020 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	**लागू नहीं**			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआरएस व एडीआरएस के धारकों से अलावा):

क्र.सं	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु	24 दिसंबर, 2020 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं।			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

ड.) निर्देशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निर्देशक (निर्देशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	24 दिसंबर, 2020 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		31 मार्च 2021 के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में				

$इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से श्री मुकेश कुमार सिंह, श्री योगेश कुमार मिश्रा, श्री अशोक कुमार गोयल, श्री मसूद अहमद, श्री बी.मुगुंथन और सुश्री रितु अरोड़ा द्वारा प्रति 10 रूपए के 100 इक्विटी शेयर धारित हैं।

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों के बिना रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि		-	-	
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* संवर्धन				
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)				

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	परिश्रमिक का विवरण @	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ मेनेजर का नाम	कुल राशि
1.	सकल वेतन	लागू नहीं	
	1. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में समाहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	स्टॉक ऑप्शन		
3.	स्वीट क्विटी		
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...		
5.	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (क)		
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

ख. <u>अन्य निर्देशकों का पारिश्रमिक</u>:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निर्देशक	लागू नहीं	
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निर्देशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमीशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2) $		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

@ वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सभी अंशकालिक निर्देशकों को होल्डिंग कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया जाता है, इसलिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहे हैं। अंशकालिक निर्देशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निर्देशक /प्रबंधक /डब्ल्यूटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण #**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**			
		श्री दीपक कुमार गर्ग, सीईओ (17 मार्च 2021 से)	**सुश्री प्रीति शुक्ला, सीएफओ (01 मार्च 2021 से)**	**श्री अंकित जैन, सीएस (17 मार्च 2021 से)**	**कुल**
1	सकल वेतन	लागू नहीं			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ				
2	स्टॉक ऑप्शन				
3	स्वीट क्विटी				
4	कमीशन				
	- लाभ के % के रूप में				
	अन्य, बताएं...				

5	अन्य, कृपया बताएं	
	-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	
	-सेवानिवृत्ति लाभ (पैंशन, भविष्य निधि)	
	कुल	

 # वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सभी केएमपी को होल्डिंग कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित किया गया है; वे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहे हैं।

VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निर्देशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

* कंपनी या उसके निर्देशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू कानूनों और विनियमों के तहत, अपराधों के शमन के लिए कंपनी के किसी भी प्रतिनिधि से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के
निर्देशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह०/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10 अगस्त, 2021
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध-ख

फार्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के एपोइंटिड 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत निश्चित आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु)

****

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं है: शून्य
2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत आधार पर विवरण: इस प्रकार है

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1	**ईपीसी करार** (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) से अपग्रेड करने की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त करने हेतु।	अनुमानित अवधि: 24 महीने (ईपीसी संविदाकार द्वारा निर्माण हेतु अवधि)	यह संविदा इरकॉन को 12 प्रतिशत की जीएसटी दर सहित 606.54 करोड़ रूपए मूल्य हेतु अवार्ड की गई है।	तीसरी बोर्ड बैठक 26 फरवरी 2021 को हुई।	शून्य (आज की तिथि को)

2	**पट्टा करार** (इरकॉन के कार्यालय परिसरों को पट्टे पर लेने हेतु)	(25 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2023)	पट्टा करार दिनांक 18 फरवरी 2021 को 31,171/-रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से निष्पादित किया गया है।	-	शून्य (आज की तिथि को)

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के
निर्देशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

दिनांक: 10 अगस्त, 2021
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सदस्य,
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने **इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड** ("कंपनी") के लिए संलग्न स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2021 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र तथा 24 दिसंबर (यथा निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2021 के लिए लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण (अन्य लाभ - हानि सहित), इक्विटी परिवर्तन स्टैंडअलोन विवरण, रोकड़ प्रवाह स्टैंडअलोन विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को अपेक्षित रूप में प्रस्तुत किया गया है और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण, संशोधित ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांत, के अनुसार 31 मार्च, 2020 को कंपनी के मामलों की स्थिति, 24 दिसंबर (अर्थात निगमन की तारीख) से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह को प्रस्तुत किया गया है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तररदायित्व में उल्लिखित है। हम, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी पृथक हैं और हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निर्देशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और शेयरहोल्डिंग की जानकारी शामिल है, यदि लागू हो, लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं ।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टेंडअलोन विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निर्देशक मंडल, अधिनियम के अनुच्छेद-133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय कार्यों, लाभ और लाभ हानि, इक्विटी और रोकड़ प्रवाह परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निर्देशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

<u>वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व</u>

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक

लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन द्वारा प्रभारित मुद्दों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

<u>अन्य मामले</u>

वर्तमान रिपोर्ट में व्यक्त किया गया मत, कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा, हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी, तथ्यों और इनपुट पर आधारित है। हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि भौतिक आवाजाही और कड़ी समयसीमा पर कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंधों के कारण, लेखापरीक्षा दल, आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के तहत निर्धारित

आवश्यक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कंपनी के परियोजना कार्यालयों का दौरा नहीं कर सकी है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुलग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित स्टेंडएलोन तुलनपत्र और लाभ-हानि का स्टेंडअलोन विवरण (अन्य लाभ हानि सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टेंडअलोन विवरण एवं रोकड़ प्रवाह स्टेंडअलोन विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पढा गया, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) के अनुसार लागू नहीं हैं।

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान, भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) के अनुसार लागू नहीं हैं।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 के एपोइंटिड 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

I) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 15 का संदर्भ लें।

II) कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं, जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशित घाटे हुए थे।

III) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(3) अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट करते हैं कि -

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
क.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी के पास सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए टैली ईआरपी लेखांकन साफ्टवेयर उपलब्ध है।
ख.	क्या वहां कंपनी में देनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/ब्याज आदि के छूट /बट्टे खाते के मामलों के पुन:निर्धारण का कोई मामला है, जो ऋण के भुगतान में कंपनी की अक्षमता के कारण हो? यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक	कंपनी में देनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/ब्याज आदि के छूट /बट्टे खाते के मामलों के पुन:निर्धारण का कोई मामला नहीं आया है।

	सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	
ग.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका / उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	केंद्रीय या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है।

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म सं. 019859एन

राजन मलिक
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता संख्या - 085801

स्थान: नोएडा
दिनांक: 15 जून 2021
यूडीआईएन : 21085801AAAAHN2622

अनुबंध-क

"अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं" पर हमारी रिपोर्ट के पैरा-1 में संदर्भित अनुबंध।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. चूंकि कंपनी के पास कोई स्थिर संपत्ति नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड'-i के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ii. जैसा कि हमें उल्लेख किया गया है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के खंड-ii के प्रावधान लागू नहीं है।

iii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के खंड iii (क), (ख) और (ग) के प्रावधान, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए, यह खंड-(घ) लागू नहीं है।

v. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा- 73 से 76 के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है।

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-148(1) के तहत आवश्यक लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

vii. क) कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है।

हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31 मार्च, 2021 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।

viii. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का खंड (viii) कंपनी पर लागू नहीं है।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरन, आरंभिक पब्लिक ऑफर या किसी पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यमों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसूचना सं. 463(ई) के दृष्टिगत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड-197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार आदेश का खंड 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराना अपेक्षित नहीं है।

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म सं. 019859एन

राजन मलिक
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता संख्या - 085801

स्थान: नोएडा
दिनांक: 15 जून, 2021
यूडीआईएन : 21085801AAAAIHN2622

अनुबंध-ख

कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अनुभाउग-143, खंड-3 की दफा (i) के अंतर्गत आंतरित वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने, दिनांक 24 दिसंबर (यथा निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2021 को **इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और

इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं

1. उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं।

2. युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं।

3. कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

<u>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं</u>

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2021 को सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म सं. 019859एन

राजन मलिक
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता संख्या - 085801

स्थान: नोएडा
दिनांक: 15 जून, 2021
यूडीआईएन : 21085801AAAAIHN2622

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन : U45309DL2020GOI374941

31 मार्च 2021 को स्टेंडअलोन तुलनपत्र

(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं, जबतक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	नोट्स	31 मार्च 2021 को
संपत्तियां		
गैर चालू संपत्तियां		
विपन्न कर परिसपत्तियां (निवल)	3	1.05
	कुल	**1.05**
चालू परिसंपतित्यां		
वित्तीय परिसिंपत्तियां	4	
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	4 (क)	5.00
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4 (ख)	12.93
अन्य चालू परिसंपत्तियां	5	0.48
	कुल	**18.41**
	सकल योग	**19.46**
इक्विटी एवं दायित्व		
इक्विटी		
इक्विटी शेयर पूंजी	6	5.00
अन्य इक्विटी		
प्रतिधारित आय		1.05
	कुल	**6.05**
चालू दायित्व		
वित्तीय दायित्व	7	
देय - व्यापार	7(क)	12.81
अन्य वित्तीय देयताएं	7(ख)	0.60
	कुल	**13.41**
	सकल योग	**19.46**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2	
वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में संलग्न नोट।		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार ओर से

निर्देशक मंडल के निमित्त और उनकी

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859N
सनदी लेखाकार

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
(डीआईएन: 07654014)

ह/-
मुगुंथन बोजु गौडा
(निदेशक)
(डीआईएन: 08517013)

ह/-
प्रीति शुक्ला
(मुख्य वित्त अधिकारी)

ह/-
दीपक कुमार गर्ग
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

ह/-
राजन मलिक
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं: 085801

ह/-
अंकित जैन
(कंपनी सचिव)
(सदस्यता सं. 35053)

स्थान : नोएडा

दिनांक: 15 जून 2021

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन : U45309DL2020GOI374941

24 दिसंबर 2020 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का स्स्टेंडअलोन विवरण

(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं, जबतक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

विवरण	नोट	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु
राजस्व :		
प्रचालनों से प्राप्त आय (निवल)	8	12.93
	कुल (क)	**12.93**
व्यय:		
वित्तीय लागते	9	3.51
परियोजना व्यय	10	9.42
	कुल (ख)	**12.93**
करपूर्व लाभ/(हानि)	**(क-ख)**	-
कर व्यय		
लंबित आयकर	3	(1.05)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**1.05**
अन्य वृहत आय/(हानि)		
अन्य वृहत आय/(हानि) जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
- निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन हानि		-
- इस मद से संबंधित आयकर		-
वर्ष के लिए कुल वृहत आय/(हानि) (कर का निवल)		-
वर्ष के लिए कुल वृहत आय/(हानि)		**1.05**
प्रति शेयर प्रति आमदनी	16	
मूल		**2.09**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निर्देशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859N
सनदी लेखाकार

ह/-
राजन मलिक
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं: 085801

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
(डीआईएन: 07654014)

ह/-
प्रीति शुक्ला
(मुख्य वित्त अधिकारी)

ह/-
मुगुंथन बोजु गौडा
(निर्देशक)
(डीआईएन: 08517013)

ह/-
दीपक कुमार गर्ग
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

ह/-
अंकित जैन
(कंपनी सचिव)
(सदस्यता सं. 35053)

स्थान : नोएडा
दिनांक: 15 जून 2021

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

सीआईएन : U45309DL2020GOI374941

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन का स्टेंडअलोन विवरण

(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं, जबतक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	**31 मार्च 2021 को**
आरंभिक शेष	-
जमा : इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना	5.00
घटा: वर्ष के दौरान रद्दकिए गए इक्विटी शेयर	-
समापन शेष	**5.00**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	**प्रतिधारित आमदनी**	**कुल**
01 अप्रैल 2020 को शेष	**-**	**-**
वर्ष के लिए कल लाभ	1.05	**1.05**
वर्ष के लिए अन्य वहत आय	-	**-**
वर्ष के लिए कल वहत आय	**1.05**	**1.05**
31 मार्च 2021 को शेष	**1.05**	**1.05**

2

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निर्देशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859N
सनदी लेखाकार

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
(डीआईएन: 07654014)

ह/-
मुगुंथन बोजु गौडा
(निदेशक)
(डीआईएन: 08517013)

ह/-
प्रीति शुक्ला
(मुख्य वित्त अधिकारी)

ह/-
दीपक कुमार गर्ग
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

ह/-
राजन मलिक
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं: 085801

ह/-
अंकित जैन
(कंपनी सचिव)
(सदस्यता सं. 35053)

स्थान : नोएडा
दिनांक: 15 जून 2021

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन : U45309DL2020GOI374941
24 दिसंबर 2020 (निगमन की तिथि) से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण
(सभी आंकड़े भारतीय लाख रूपए में हैं, शेय और शेयर डाटा को छोड़कर तथा अन्यथा उल्लेख किया गया हो)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	
कर पूर्व लाभ	**-**
मूल्यह्रास/ परिशोधन	-
ब्याज आय	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**-**
कार्यशील पूंजी में संचलन-	
व्यापार देय में कमी / (वृद्धि)	12.81
अन्य गैर चालू वित्तीय दायित्व में कमी / (वृद्धि)	
अन्य चालू वित्तीय दायित्व में कमी / (वृद्धि)	0.60
चालू वित्तीय ऋणों में कमी / (वृद्धि)	(12.93)
अन्य चालू परिसंपत्यिों में कमी / (वृद्धि)	(0.48)
प्रचालन गतिविधियों से (प्रयोग में) निवल रोकड (क)	**0.00**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	
अमूर्त परिसंपत्तियों सहित स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	-
प्राप्त ब्याज	-
निवेश गतिविधियों से (प्रयोग में) निवल रोकड (ख)	**-**
वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	
इक्विटी शेयरों का निर्गम	5.00
वित्तीय गतिविधियों से (प्रयोग में) निवल रोकड़ प्रवाह (ग)	**5.00**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) (क + ख +ग)	5.00
वर्ष के आरंभ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-
वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**5.00**
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक	
उपलब्ध रोकड	-
बैंकों में चालू खाता	5.00
कुल रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**5.00**

1) प्रकोष्ठ में राशि रोकड़ आउटफ्लो को दर्शाती है।
2) उपर्युक्त रोकड प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम,2015 के अंतर्गत इंड एएस-7 रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निर्धारित की गई है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
उनकी ओर से

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859N
सनदी लेखाकार

ह/-
राजन मलिक
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं: 085801

निर्देशक मंडल के निमित्त और

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

ह/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
(डीआईएन: 07654014)

ह/-
मुगुंथन बोजु गौडा
(निदेशक)
(डीआईएन: 08517013)

ह/-
प्रीति शुक्ला
(मुख्य वित्त अधिकारी)

ह/-
दीपक कुमार गर्ग
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

ह/-
अंकित जैन
(कंपनी सचिव)
(सदस्यता सं. 35053)

स्थान : नोएडा
दिनांक: 15 जून 2021

3 लाभ और हानि लेखे में स्वीकृत आय कर

(क) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेत**
चालू कर	-
लंबित कर	
क) चालू वर्ष उत्पत्ति और अस्थायी अंतर का व्युत्क्रम के संबंध में	(1.05)
वर्ष के दौरान स्वीकृत आय कर व्यय	**(1.05)**

ख) लाभ या हानि में प्रस्तुत आय कर व्यय की कर दर पर आय कर व्यय के अनुमान का समायोजन निम्नानुसार है:

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेत**
करपूर्व लाभ/(हानि)	-
लेखांकन लाभ पर कर	-
आयकर समायोजन पर प्रभावः	
समय अंतर	
निगमन पूर्व व्यय	(1.05)
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	(1.05)
लागू कर दर	24.48%

ग) तुलन पत्र और लाभ हानि खाते में आस्थगित कर का संचलन

विवरण	**तुलन पत्र 31 मार्च 21**	**लाभ हानि विवरण 31 मार्च 21**
निगमन पूर्व व्यय	1.05	1.05
लंबित कर	**1.05**	**1.05**

(यह स्थान जान-बूझ कर खाली छोड़ा है)

4 वित्तीय परिसंपत्तियां

4(क) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2021 को
बैंकों में शेष:	
- चालू खातों में	5.00
कुल	**5.00**

4(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2021 को
(अरक्षित और वसूली योग्य)	
संविदागत परिसंपत्तियां	
बिलयोग्य किन्तु अदेय राजस्व	12.93
कुल	**12.93**

5 अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2021 को
(अरक्षित और वसूली योग्य)	
अन्य	
सांविधिक/सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष	
- वस्तु एवं सेवाकर	0.48
कुल	**0.48**

(यह स्थान जान-बूझ कर खाली छोड़ा है)

6 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च 2021 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी	
प्रति 10 रूपए के 4000,000 इक्विटी शेयर	400.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त पूंजी	
प्रति 10 रूपए के 50,000 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	5.00
कुल जारी, अंशदायी और पूर्णत प्रदत्त शेयरपूंजी	**5.00**

(क) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का समायोजन

इक्विटी शेयर

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि लाख में
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में	-	-
वर्ष के दौरान जारी	50,000	5.00
वर्ष के अंत में बकाया	**50,000**	**5.00**

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें / अधिकार:

(क) मतदान :

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रुपये का सममूल्य मूल्य है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक होल्डिंग प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ख) परिसमापन:

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के होल्डिंग सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात, कंपनी की शेष संपति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) लाभांश :

निर्देशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन में अध्याधीन है।

(ग) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक के शेयरों को धारण करने वाले शेयर धारकों का ब्यौरा:

विवरण	शेयरों की संख्या	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को
प्रति 10 रूपए के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	50000*	100%

* धारक कंपनी की ओर से नामिति शेयरधारकों द्वारा धारित 600 इक्विटी शेयरों सहित।

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टर और लाभकारी हित के संबंध में शेयरधारकों से प्राप्त अन्य घोषणाओं सहित, उपरोक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है।

(घ) धारक कंपनी, मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जिसके पास इस कंपनी के 100% इक्विटी शेयर हैं।

7(क) व्यापार प्राप्य (संदर्भ अनुबंध-19)

विवरण	31 मार्च 2021 को
अरक्षित	
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के अतिरिक्त	
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	-
(ii) संबंधित पक्ष #	12.81
कुल	**12.81**

उपर्युक्त शेष धारक कंपनी को देय है।

7(ख) अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2021 को
अरक्षित	
देय व्यय	0.60
कुल	**0.60**

8 प्रचालनों से राजस्व (निवल)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु
प्रचालनों से राजस्व (निवल)	
संविदा राजस्व	**12.93**
कुल	**12.93**

कंपनी को एकल परियोजना के लिए निगमित किया गया है अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग-352 के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड का उन्नयन और अप्रत्यक्ष व्यय सहित सभी खर्च अनुबंध के लिए किए गए हैं और तदनुसार इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार मान्यता प्राप्त राजस्व, क्लाइंट से वसूली योग्य हैं।

9 वित्तीय लागते

विवरण	31 मार्च 2021 को
बैंक गारंटी और अन्य प्रभार	3.51
कुल	**3.51**

10 परियोजना व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 को
लेखापरीक्षा शुल्क	0.21
कानूनी एवं व्यावसायिक खर्च	2.57
निगमन पूर्व व्यय	5.34
किराया	1.13
विविध व्यय	0.17
कुल	**9.42**

11. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय माध्यमों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)
स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।
स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट

क) दिनांक 31 मार्च, 2021 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

विवरण		**उचित मूल्य**		
	वहन मूल्य	**स्तर-1**	**स्तर-2**	**स्तर-3**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	5.00	-	-	5.00
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12.93	-	-	12.93
	17.93	-	-	17.93
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
व्यापार देय	12.81	-	-	12.81
अन्य वित्तीय देयताएं	0.60	-	-	0.60
	13.41	-	-	13.41

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां अल्पावधि के कारण बड़े पैमाने पर इन माध्यमों के अल्पकालीन परिपक्वता के कारण किया है।

12. पूंजी प्रबंधन

कंपनी पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी पर विचार किया जाता है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन इस प्रकार करती है कि वह एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने और शेयरधारकों को प्रतिफल का अनुकूलन करने की अपनी क्षमता की रक्षा कर सके। कंपनी की पूंजी संरचना निवेशकों, लेनदारों और बाजार के विश्वास को बनाए रखने के लिए कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ अपनी रणनीतिक और दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है। प्रबंधन और निर्देशक मंडल पूंजी पर प्रतिफल की निगरानी करते हैं। समूह अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने, या यदि आवश्यक हो तो समायोजित करने के लिए उचित कदम उठा सकता है।-

13. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य

कंपनी की गतिविधियां इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के लिए उजागर करती हैं: क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का जोखिम प्रबंधन वित्त और लेखा विभाग द्वारा निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के तहत किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करने वाली नीतियों, जैसे चलनिधि जोखिम का पर्यवेक्षण करता है।

क) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम को नुकसान पहुंचाए बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2021 को महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 **मार्च 2021 को**		
	1 **वर्ष से कम**	1 **वर्ष से अधिक**	**योग**
व्यापार प्राप्य	12.81	-	12.81
अन्य वित्तीय देयताएं	0.60	-	0.60
कुल	**13.41**	**-**	**13.41**

14 अतिरिक्त सूचना

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु
क) आयातित वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य	शून्य
ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार)	शून्य
ग) विदेशी मुद्रा में आमदनी	शून्य
ग) लेखापरीक्षा शुल्कों का भुगतान सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.21

15 संबंधित पक्ष प्रकटन

इंड एएस 24 - संबंधित पक्ष प्रकटन के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार हैः-

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(ii) (क) मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालीन निदेशक

नाम	पदनाम
श्री योगेश कुमार मिश्रा	अध्यक्ष
श्री मसूद अहमद नजर	निर्देशक
श्री मुगुथन बोजु	निर्देशक
श्री दीपक गर्ग	सीईओ
सुश्री प्रीति शुक्ला	सीएफओ

कंपनी सचिव

नाम	पदनाम
अंकित जैन	कंपनी सचिव

ख) अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार का ब्यौरा:

संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मर्च 2021 को
1) प्रतिपूर्ति व्यय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	11.69
2) किराया व्यय			1.13
3) इक्विटी शेयरों में निवेश			5.00

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष:

संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मर्च 2021 को
रिपोर्टिंग तिथि को शेष देय राशि	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	12.82

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के निबंधन और शर्तें

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है।

(ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।

(ii) कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा देय राशियों से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्ष की वित्तीय स्थिति और बाजार, जिसमें संबंधित पक्ष संचालित होता है, की जांच के माध्यम से किया जाता है।

16. प्रति शेयर आय

इंड एएस - 33 ' प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय (रुपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों के लिए लाभ (लाख रूपए में)	(ii)	1.05
इक्विटी शेयरों की संख्या	(iii)	50,000
प्रति शेयर आय (मूल)		2.09
प्रति शेयर आय (विलयित)		2.09
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) (लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	1.05
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ	1.05

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50,000
विलन प्रभाव:	
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	50,000

17 राजस्व

क. राजस्व का गैर-समायोजन

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार में कंपनी के राजस्व का अलग-अलग सेट नीचे दिया गया है:

	31 मर्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु						
उत्पाद या सेवा का प्रकार	इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ और हानि/सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इंनपुट विधि	आउटपुट विधि		
राजमार्ग	12.93	-	12.93	12.93	-	-	12.93
कुल	12.93	-	12.93	12.93	-	-	12.93

ख. संविदा शेष

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा परिसंपत्तियां (नोट- 4.2)	12.93

(i) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	12.93
निवल वृद्धि/कमी	**12.93**

(ii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदागत देनदारियां, ग्राहकों को देय राशि होती हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब इनपुट पद्धति के तहत विशेष लक्ष्य भुगतान मान्यता प्राप्त राजस्व और दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम से अधिक हो जाता है। प्राप्त अग्रिम की राशि निर्माण अवधि में समायोजित हो जाती है, जबकभी क्लाइंट को बीजक जारी किया जाता है।

17.1 सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "घ" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -115)। परिशिष्ट "घ" यदि लागू हो:

क) ग्रांटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूत सुविधाओं के साथ कौन-सी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान की जाएंगी; तथा

ख) ग्रांटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्गत अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या ग्रांटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड (आईजीआरएचएल) ने " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ किए गए रियायत करार की शर्तों के अनुसार, भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एनिविटी मोड पर एक फीडर रूट के रूप में हरियाणा राज्य में एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) से अपग्रेड करने" का कार्य सौंपा है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईजीआरएचएल के पास छह लेनिंग की परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति, जिनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, सहित सभी परियोजनाओं संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है। परियोजना एनिविटी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनआईजीआरएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्यों के पूरा होने पर एनएचएआई से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत समझौते के तहत 12,93,373/- रूपए की वित्तीय संपत्ति को स्वीकार किया है।

इंड एएस-115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-115: ग्राहकों से राजस्व में परिशिष्ट-घ में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

रूपए लाख में

विवरण	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**
स्वीकृत संविदा राजस्व	12.93
वहन लागत का सकल मूल्य	12.93
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारित राशि	-
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवा के विनिमय हेतु अवधि के दौरान स्वीकृत लाभ/(हानि)	
संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	12.93

18. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के देय राशियों का ब्यौरा: -**

क्र.सं	**विवरण**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**
क)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त राशि की मूल राशि और उस पर ब्याज:	शून्य
ख)	सूक्षम और लघु उपक्रम पर देय मूल राशि	शून्य
ग)	उपर्युक्त पर देय ब्याज	शून्य

घ)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	शून्य
ड.)	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य
च)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अजित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	शून्य
छ)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	शून्य

19. अन्य नोट

1) इस कंपनी का निगमन 24 दिसंबर, 2020 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हुआ है। इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल), ने दिनांक 20 जनवरी, 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी शर्तों के अनुसार एनएचएआई (प्राधिकरण) द्वारा अभिकल्प, निर्माण, प्रचालन और अंतरण (हाइब्राइ वार्षिकी) आधार पर इसे चार/छह लेन का के लिए हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-352) के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को 0.000 किमी से 43.87 किमी (लगभग 46.11 किमी) तक मौजूदा सड़क के संवर्धन के लिए कंपनी को प्राधिकृत किया गया है, जिसे आंशिक रूप से रियायतग्राही द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जो अपने निवेश और लागत की वसूली, प्रवेश किए जाने वाले सेवा रियायत करार में निर्धारित किए जाने वाली निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए जाने वालने भुगतान से करेगी। कंपनी ने 309.68 करोड़ रूपए के ऋण के लिए आवेदन किया है, जिसे दिनांक 12 मई 2021 को अनुमोदित किया गया है।

2. यह कंपनी के निगमन का प्रथम वर्ष है और इसलिए, पिछले वर्ष की समवर्ती आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्रचालनिक सेगमेंट: कंपनी एचएएम मॉडल पर हरियाणा राज्य में एनएच-352 के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के व्यवसाय में कार्यरत है, क्योंकि कंपनी का एकल व्यवसाय और भौगोलिक खंड है, इसलिए वित्तीय विवरण में कोई प्रासंगिक प्रकटन नहीं किया गया है।

4. प्रचालनिक सेगमेंट: कंपनी हरियाणा राज्य में एनएएम मॉडल परएनएच-352 के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के व्यवसाय में कार्यरत है, क्योंकि कंपनी का एकल व्यवसाय और भौगोलिक खंड है, इसलिए वित्तीय विवरण में कोई प्रासंगिक प्रकटन नहीं किया गया है।

5. आंकड़ों को लाख रूपए के निकटम अंक में राउंड ऑफ किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निर्देशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

कृते राजन मलिक एंड कंपनी
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859N
सनदी लेखाकार

ह०/-
योगेश कुमार मिश्रा
अध्यक्ष
डीआईएन: 07654014

ह०/-
मुगुंथन बोजु गौडा
(निदेशक)
डीआईएन: 08517013

ह०/-
प्रीति शुक्ला
मुख्य वित्त अधिकारी

ह०/-
दीपक कुमार गर्ग
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह०/-
राजन मलिक
साझेदार
आईसीएआई सदस्यता सं: 08580

ह०/-
अंकित जैन
(कंपनी सचिव)
(सदस्यता सं. 35053)

स्थान : नोएडा
दिनांक: 15 जून 2021

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सीआईएन : U45309DL2020GOI374941
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

1. कॉर्पोरेट सूचना

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल) भारत में अधिवासित सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इरकॉन जीआरएचएल (सीआईएन यू45309डीएल2020जीओआई374941), भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई, जब इरकॉन को भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर फीडर रूट के रूप में हरियाणा राज्य में ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार एनएच–352 के गुड़गांव पटौदी–रेवाड़ी खंड के मिमी 0.00 से किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46-11 किमी) के उन्नयन का काम सौंपा गया था। ''प्रस्ताव के लिए अनुरोध'' के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन' ने इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड नामक, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को दिनांक 24-12-2020 को निगमित किया है। तदनुसार, इरकॉनजीआरएचएल ने 900 करोड़ रुपये के परियोजना मूल्य के लिए दिनांक 13 जनवरी, 2021 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत की अवधि 730 दिन है, जो एनएचएआई द्वारा अधिसूचित अनुसार नियत तिथि अर्थात 21 जून 2021 है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकडों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा औरअन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोडकर।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

पहचान एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य फ्रीहोल्ड।

भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	**उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कैरवान, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है। स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों

का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आंशिक उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन

राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से

संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

मालसूचियां

मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यांकन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यांकन किया गया है।

नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, के अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यांकन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.4 राजस्व स्वीकृति

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार करती है, जिस स्तर तक उसके पास निर्माण सेवाओं और संचालन और रखरखाव सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") से या उसके निर्देश पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

ऐसी वित्तीय संपत्तियों को आरंभिक स्तर पर उचित मूल्य पर अर्थात वर्तमान मूल्य पर और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय संपत्ति को बढ़ाया जाएगा और अनुदानकर्ता से धन प्राप्त होने पर कम किया जाएगा।

कंपनी इंड एएस -115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार निर्माण और संचालन और रखरखाव सेवाओं से राजस्व को पहचानती और मापती है।

कंपनी एक ही क्लाइंट के साथ एक ही समय में या उसके आस-पास दर्ज किए गए दो या अधिक अनुबंधों में प्रवेश करती है और यदि अनुबंधों को एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य या अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि के साथ पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है तो अनुबंध की कीमत अन्य संविदा या वस्तुआं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर संविदा में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में होगा।

संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए क्लाइंट के साथ अनुबंधित रूप से सहमत है। राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा जाता है, जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष अर्थात जीएसटी की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं होती है और इसे परिवर्तनीय विचारों के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी के अनुबंध की प्रकृति कई प्रकार के परिवर्तनशील प्रतिफलों को उत्पन्न करती है जिसमें वृद्धि और परिसमापन क्षति शामिल है।

संव्यवहार मूल्य में किसी भी भावी परिवर्तन को अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है जैसे अनुबंध की आरंभ में किया गया है।

कंपनी परिवर्तनीय प्रतिफल के लिए राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभव है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी सबसे संभावित राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार पर राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है।

इसके परिणामस्वरूप, एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में, या राजस्व में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में संव्यवहार मूल्य में परिवर्तित किया जाता है।

कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और राजस्व ओवरटाइम को पहचानती है, यदि निम्न में से कोई भी मानदंड पूरा होता है:

क) इकाई द्वारा निष्पादन किए जाने पर कंपनी क्लाइंट के साथ निष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका प्रयोग करता है।

ख) इकाई का निष्पादन संपत्ति निर्माण या संवर्धन करती है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति पर है), जिसे क्लाइंट निर्मित या नियंत्रित करता है।

ग) इकाई का निष्पादन, इकाई के वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है और इकाई के पास आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन के लिए भुगतान का एक लागू करने योग्य अधिकार होताहै।

समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए, निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रगति को मापकर राजस्व की पहचान की जाती है। प्रगति को निष्पादन दायित्व के कारण, कुल अनुमानित लागत के लिए, अब तक की गई वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है। हालांकि, जहां कंपनी एक निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करने में व्यय की गई लागतों की वसूली की आशा करती है, कंपनी राजस्व को केवल तब तक खर्च की गई लागतों की सीमा तक स्वीकार कर सकती है, जबतक कि यह निष्पादन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से माप सके।

निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति लागू करके मापा जाता है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को ईमानदारी से दर्शाती है।

अनुबंध संशोधनों का लेखांकन उस समय किया जाता है, जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन स्वीकृत होते हैं।

अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएं, जो अलग नहीं हैं को संचयी आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो अलग हैं उन्हें संभावित रूप से, एक पृथक अनुबंध के रूप

में लेखांकित किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में है, बिक्री मूल्य पर कीमत पर नहीं है।

(क) संविदागत शेष

- अनुबंध की संपत्ति: अनुबंध संपत्ति एक अधिकार है जो क्लाइंट को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय पर विचार करने का अधिकार देता है। यदि कंपनी क्लाइंट को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले, किसी क्लाइंट को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन करती है, तो अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है।

- व्यापार प्राप्य: व्यापार प्राप्य, उस राशि पर विचार करने का कंपनी का अधिकार है जो बिना शर्त है (अर्थात, निर्धारित भुगतान से पूर्व बहुत कम समय की आवश्यकता हाती है)।

- अनुबंध दायित्व: अनुबंध दायित्व, क्लाइंट को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी ने क्लाइंट से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई क्लाइंट कंपनी द्वारा क्लाइंट को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर, या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य आय

लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

विविध आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट होते हैं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.5 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए अपेक्षित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.6 कर

क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाहय (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय

अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

2.2.7 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए नियोजन पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, और संविदागत कर्मचारियों को नियोजन पश्चात, कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

2.2.8 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में उपलब्ध नकद, बैंकों में रोकड और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालीन सावधि जमा राशियां जो ज्ञात रोकड राशि के लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड और रोकड समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

2.2.9 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता

है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निर्देशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में स्वीकृत होता है।

2.2.10 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

यदि धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है, तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधानों में अनुरक्षण, विमुद्रीकरण, डिजाइन गारंटी, कानूनी मामले, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदाएं और अन्य के प्रावधान शामिल हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम

लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.11 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में

ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

(i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

(ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी

जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

(iii) अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यूनतम मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यूनतम मूल्य परिसम्पति छूट

का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यूनतम मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कंपनी ने इंड एएस–116 के अनुसार पट्टा लेखांकन के लिए समायोजन दिया है, जो दिनांक 01 अप्रैल 2019 को लागू हुआ, और सभी संबंधित आंकड़ों को इंड एएस–16 की अपेक्षाओं के लिए पुनर्वर्गीकृत/पुनर्समूहित किया गया है।

क) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। प्रचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.12 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

<u>प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन</u>

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को

उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (SPPI) का भुगतान है।

  ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

  क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **<u>इक्विटी उपकरण</u>**

इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशित इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यूनतम किए गए हैं।

इंड एएस–109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस–116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस–115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा

- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम

नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

<u>वित्तीय परिसंपत्त्यिों को अमान्य करना</u>

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को केवल तभी अमान्य किया जाता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को और अंतत, संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभों को स्थानांतरित करता है।

लाभ और हानि के विवरण में अग्रणीत राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच का अंतर पहचाना जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं

<u>प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन</u>

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

  कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस–109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी–कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान

निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.13 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तालमेल का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तालमेल में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांकको की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तालमेल के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.14 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो

गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस–105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन–(1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.15 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

22.16 प्रचालनिक सेगमेंट

प्रचालनिक सेगमेंट का लेखांकन मुख्य प्रचालनिक नीति निर्धारक को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप विधि में किया जाता है। तदनुसार, कंपनी ने एक रिपोर्टिंग खंड अर्थात घरेलू खंड की पहचान की है।

22.17 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारित करते समय, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय के परिकलन में उपयोग किए गए शेयरों की संख्या, उक्त अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर विलयित आय को अलग करने में, इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.2.18 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपूर्ण रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका अस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

ख) निर्धारित लाभ योजनाएं

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ दायित्व की लागत निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं शामिल होती हैं, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य की पेंशन वृद्धि शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलता और इसकी लंबी अवधि की प्रकृति के कारण, एक विकृत लाभ दायित्व, इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। सभी अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक पुनर्निर्धारण तिथि पर की जाती है।

ग) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधित जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

ङ.) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

च) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर

निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

छ) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर।

ज) पट्टा– संवर्धात्मक ऋण दर का अनुमान

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

च) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(छ) राजस्व स्वीकृति

कंपनी की राजस्व मान्यता नीति इस बात का केंद्रित है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों को कैसे महत्व देती है।

इन नीतियों के लिए अनुबंधों के परिणामों के पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य के दायरे में परिवर्तन और दावों और विविधताओं पर किए जाने वाले आकलन और निर्णय की आवश्यकता होती है।

कई लंबी अवधि की और जटिल परियोजनाएं हैं, जहां कंपनी ने संविदात्मक अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल किए हैं। संभावित परिणामों की श्रेणी के आधार पर अंतर्निहित लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में भौतिक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है।

अनुमोनों की आवश्यकता संविदा के निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में भी होती है।

- समापन के स्तर का निर्धारण
- परियोजना समापन तिथि का अनुमान
- भावी हानियों हेतु प्रावधान

- विभिन्न दावों और अंतरों सहित समापन पर अनुमानित कुल राजस्व और अनुमानित कुल लागत।

इनकी समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए इनमें समायोजन किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निर्देशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे वाणिज्यक नई दिल्ली

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI

संख्या: पी डी ए/आर सी/ AA-IGRHL/ 14-11/2021-22/40 **दिनांक: 20.07.2021**

सेवा में,

अध्यक्ष
इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली -110017.

विषय: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 कीधारा 143 (6) (b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ |

महोदय,

मैं, इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों अंग्रेषित कर रहा हूँ।

कृप्या इस पत्र की संलग्न को सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

(के. एस. रामुवालिया)
प्रधान निर्देशक (रेलवे वाणिज्यक)

संलग्र: यथोपरी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन गुड़गांव देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन गुड़गांव देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.06.2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन गुड़गांव देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
(के.एस.रामूवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.07.2021

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

('इरकॉनजीआरएचएल')

पंजीकृत और निगमित कार्यालय :

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-26530266 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी: ankit.jain@ircon.org